बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – पी0पी0एम0–66 / 2016 330 / कृ0, पटना दिनांक 27-01-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना के खरीफ कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष अवयवों हेतु वर्ष 2016–17 में 3833.948 लाख रूपये (अड़तीस करोड़ तैतीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ रूपये) की सहायता अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना के खरीफ कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष अवयवों हेतु वर्ष 2016–17 में 3833.948 लाख रूपये (अड़तीस करोड़ तैतीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ रूपये) की सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का खरीफ कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष अवयवों को 2016–17 में कार्यान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत कार्यक्रम अनुसूची–1 पर संलग्न है। राज्य में उद्यानिक फसलों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के 23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना स्वीकृत है। फलतः राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तर्ज पर राज्य के शेष 15 जिलों यथा अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना की स्वीकृति दी गई। इस योजना के अवयव, इकाई लागत, अनुदान दर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सदृश्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 की भाँति वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में शामिल कतिपय मदों के इकाई लागत में वृद्धिं एवं इकाई लागत पर निर्धारित अनुदान दरों को 35 से 50% को अक्षुण्ण रखा गया है। फलतः इस योजना के वैसे मदों जिसके अनुदान दरें 35% से 40% है, में क्रमशः 15% से 10% के वृद्धि के प्रस्ताव को पूर्व की भाँति कार्यक्रम में शामिल रखा गया है। विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा इस वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अवयवों के स्वीकृत इकाई लागत एवं अनुदान दर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के लिए भी मान्य है। भारत सरकार की अनुदानित दर अनुसूची –2 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुदानित दर अनुसूची–3 संलग्न है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम शत–प्रतिशत राज्य योजना से वित्त पोषित है। पूर्व से संचालित कार्यक्रमों विशेष फसल योजना को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में समाहित कर समेकित कार्यक्रम का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कराया जाएगा। इस योजना के कतिपय अवयव का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के लिए चिन्हित जिलों में भी कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण, आई.पी.एम. / आई.एन.एम., सगंध पौधे, स्पेशल इन्टरवेंशन घटक इत्यादि सम्मिलित हैं। इस योजना का परिचालनात्मक दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया वही है, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का है।

E:\ABHINAV\2016-17\CMHM\38.33948\sanlekh CMHM 05.08.2016.docx

27.1.2017

3. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना राज्य के उन जिलों में कार्यान्वित की जाएगी, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) के तहत अच्छादित नहीं हैं। यह योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) के दिशा निर्देश एवं परिचालनात्मक मार्गदर्शिका के तहत कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना शत्प्रतिशत राज्य योजना से संचालित की जाती है। योजनाओं की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से राज्य बागवानी मिशन द्वारा पूर्व में संचालित विशेष बागवानी फसल को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में समाहित कर दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के वैसे कुछ अवयव, जो कि राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है, को राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा अच्छादित जिले में भी कार्यान्वित कराया जाएगा।

4. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी निदेशक, उद्यान द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा पी0एल0 खाता संख्या– PLA- 291 में बिहार बागवानी विकास सोसायटी को उपलब्ध करायी जायेगी एवं बिहार बागवानी विकास सोसायटी द्वारा निधि, संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को Parent Child Account के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

6. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

7. योजना के तहत् कृषकों का पंजीकरण भारत सरकार कृषि मंत्रालय के Hortnet website पर किया जायेगा। योजना हेतु कृषक का चयन क्लस्टर में किये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कि कोरिडोर का विकास हो सके।

8. वितीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड P2401001190101, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा।	6696.71	2990.47944
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष –00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड P2401007890130, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा	1717.11	766.7896
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड P2401007960152, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा।	171.71	76.67896
कुल	**8585.53**	**3833.948**

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–66/2016 के पृष्ठ 36/टि0 पर दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

E:\ABHINAV\2016-17\CMHM\38.33948\sanlekh CMHM 05.08.2016.docx

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–66/2016 के पृष्ठ संख्या–39/टि० पर दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.1.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–66/2016 330 /कृ0, पटना दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–66/2016 330 /कृ0, पटना दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–66/2016 330 /कृ0, पटना दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक, उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\CMHM\38.33948\sanlekh CMHM 05.08.2016.docx